

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9054	892	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1920	3	--	-
3	असम	3853	60	--	-
4	बिहार	6102	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5264	--	1	4550
6	गोवा	670	338	--	-
7	गुजरात	5330	524	--	-
8	हरियाणा	842	1330	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2500
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	490	--	--	-
12	कर्नाटक	6292	--	--	30500
13	केरल	2338	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	1003	--	-
15	महाराष्ट्र	48418	686	--	25000
16	मणिपुर	168	110	--	-
17	मेघालय	791	45	9	-
18	मिज़ोरम	383	49	--	-
19	नगालैंड	1794	36	--	-
20	उड़ीसा	12233	1595	92	30783
21	पुदुचेरी	336	--	--	1280
22	पंजाब	1987	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	5200
24	तमिलनाडु	7258	--	40	14023
25	तेलंगाना	6193	1350	--	-
26	त्रिपुरा	565	10	--	700
27	उत्तराखंड	1009	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3566	139	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9715	633	214	-
	कुल	136567	8803	672	114536

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं